प0 सं0 / /एडी0कमि0 (जी0एस0टी0)/18–19/ 251 वाणिज्य कर मुख्यालय।
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(एडी0कमि0–जी0एस0टी0)
लखनऊ :: दिनांक :: 31 :: मई, 2018

–::कार्यालय आदेश::–

दिनांक 29.05.2018 को वीडियो कांफ्रेन्सिंग द्वारा रिफण्ड के त्वरित निस्तारण हेतु राजस्व विभाग, भारत सरकार एवं सभी राज्यों के कमिश्नर, वाणिज्य कर तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर/कमिश्नर्स की संयुक्त बैठक का अयोजन किया गया था। प्रश्नगत बैठक में दिनांक 31.05.2018 से 14.06.2018 तक रिफण्ड पखवाड़े के रूप में एक अभियान चलाकर प्राप्त रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का निर्णय लिया गया था एवं दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण इस अवधि में कर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त बैठक में केन्द्र व राज्य की ओर से प्रत्येक राज्य हेतु ज्वाइन्ट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को समन्वय तथा व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों के साथ विचार–विमर्श हेतु नोडल आफिसर नामित किये जाने का भी निर्णय लिया गया था।

उक्त निर्णय के अनुपालन में श्री विवेक कुमार, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय को समन्वय एवं व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों के साथ विचार–विमर्श हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.04.2018 तक GSTN Portal पर uploaded सभी रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का निस्तारण इस अवधि में कराना सुनिश्चित करें तथा इसका विवरण निम्न प्रारूप में प्रतिदिन ई–मेल द्वारा एवं प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक प्रज्ञात्मक विवरण ई–मेल द्वारा upctres@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रारूप

(क) दिनांक 31–03–2018 तक प्राप्त रिफण्ड प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण का विवरण:–

जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर अपलोड प्रार्थना–पत्रों की संख्या	कॉलम–1 में से कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की संख्या व धनराशि (करोड़ में)	पाखवाड़ा अवधि से पूर्व निस्तारित प्रार्थना–पत्रों की संख्या व धनराशि (करोड़ में)	पखवाड़ा अवधि में निस्तारित प्रार्थना–पत्रों की संख्या	कुल कितने मामलों में रिफण्ड जारी किया गया तथा इससे आच्छादित धनराशि (करोड़ में)	कितने मामलों में Central Tax Authorities को रिफण्ड दिये जाने का आदेश भेजा गया उसकी संख्या एवं आच्छादित धनराशि (करोड़ में)	State Tax Authorities द्वारा दिये गये रिफण्ड की संख्या एवं आच्छादित धनराशि (करोड़ में)	Central Tax Authorities से प्राप्त रिफण्ड आदेशों की संख्या एवं आच्छादित धनराशि (करोड़ में)	क्रमांक–6 के विरुद्ध कितने मामलों में रिफण्ड दिया गया संख्या एवं आच्छादित धनराशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्रमशः पेज 2 पर

(ख) दिनांक 01–04–2018 से 30–04–2018 तक प्राप्त रिफण्ड प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण का विवरणः–

जी0एस0 टी0एन0 के पोर्टल पर अपलोड प्रार्थना–पत्रों की संख्या	कॉलम–1 में से कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की संख्या वँ धनराशि (करोड़ में)	पखवाड़ा अवधि से पूर्व निस्तारित प्रार्थना–पत्रों की संख्या व धनराशि (करोड़ में)	पखवाड़ा अवधि में निस्तारित प्रार्थना–पत्रों की संख्या	कुल कितने मामलों में रिफण्ड जारी किया गया तथा इससे आच्छादित धनराशि (करोड़ में)	कितने मामलों में Central Tax Authorities को रिफण्ड दिये जाने का आदेश भेजा गया उसकी संख्या एवं आच्छादित धनराशि (करोड़ में)	State Tax Authorities द्वारा दिये गये रिफण्ड की संख्या एवं आच्छादित धनराशि (करोड़ में)	Central Tax Authorities से प्राप्त रिफण्ड आदेशों की संख्या एवं आच्छादित धनराशि (करोड़ में)	कमांक–7 व 8 के विरुद्ध कितने मामलों में रिफण्ड दिया गया संख्या एवं आच्छादित धनराशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 प0 संख्या दिनांक एवं विषयक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर/चीफ कमिश्नर लखनऊ/मेरठ जोन, केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने जोन हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनका मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 नामित नोडल अधिकारी श्री विवेक कुमार (7235001005) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशानुसार दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में कराना सुनिश्चित करें एवं निस्तारण की सूचना उपरोक्तानुसार प्रतिदिन प्रेषित करें।

कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।